प्रेस विज्ञप्ति
27.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19.12 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने मुंबई के एम.आर.ए. मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसकी जांच मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा एनएसईएल, उसके निदेशकों, प्रमुख अधिकारियों और 25 डिफॉल्टरों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं, 1860 के तहत की जा रही है।

पीएमएलए के तहत ईडी की जांच से पता चला है कि एनएसईएल और उसके दोषी सदस्यों ने वास्तविक स्टॉक के बिना कमोडिटी में व्यापार की अनुमति देकर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी में लिप्त होकर तकरीबन 13,000 निवेशकों से लगभग 5600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

आगे की जांच में पता चला कि एनएसईएल के तीन दोषी सदस्यों, अर्थात् मेसर्स एलओआईएल ओवरसीज फूड्स लिमिटेड, मेसर्स एलओआईएल कॉन्टिनेंटल फूड्स लिमिटेड और मेसर्स एलओआईएल हेल्थ फूड्स लिमिटेड (सामूहिक रूप से एलओआईएल समूह के रूप में संदर्भित), ने एनएसईएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से धान के काल्पनिक/फर्जी बिक्री लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया। एलएसईएल के प्रति मेसर्स एलओआईएल समूह की कंपनियों की कुल देनदारी लगभग 720.30 करोड़ रुपये थी। बैंक खातों की जांच से पता चला कि एलओआईएल समूह की कंपनियों के एनएसईएल निपटान खातों से लगभग 569.04 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन किया गया था।

जांच से पता चला कि गबन किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स लिमिटेड सहित विभिन्न समूह संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया गया था और इसका उपयोग बैंक ऋणों के पुनर्भुगतान, व्यावसायिक संचालन, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।

जांच के दौरान इस मामले में कुल 34 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 3452.16 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 148 आरोपियों के खिलाफ सात अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिन्होंने इन पर संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।